

:- आदेश :-

उपरोक्त-प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज			
1	2	3	4	5	6	7	8	
ग्राम का नाम	खसरा संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	
मुदात 21511	24	मोहनदास	446	0.08	मोहनदास	446	0.08	
		पुत्र	447	0.01	पुत्र	447	0.01	
		मोहनदास	448	0.10	मोहनदास	448	0.10	
		मोहनदास	449	2.3120	मोहनदास	449	2.3120	
		शेखरदास	450	2.4120	शेखरदास	450	2.4120	
		मोहनदास	1038/449	0.0480	मोहनदास	1038/449	0.0480	
		मोहनदास	1039/450	0.0480	मोहनदास	1039/450	0.0480	

शिबिर प्रभारी
शिबिर प्रभारी

(अतिरिक्त सिल्ला क्लर्क, डी.डी.बान्ना)

PSKCA-2021, पं.स. मौलासर

दिनांक :- 12/10/21

क्रमांक :- 154

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिबिर प्रभारी
शिबिर प्रभारी

(अतिरिक्त सिल्ला क्लर्क, डी.डी.बान्ना)

PSKCA-2021, पं.स. मौलासर

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हत्का..... 51921 को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर